क्रमांक 3328700/38/13
कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग,
तुलसी नगर, भोपाल, (म.प्र.)

भोपाल, दिनांक 01/12/2016 ~~/11/2016~~

—:: आदेश—:

श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा, सहायक वर्ग—3 व्दारा उनका सहायक वर्ग—3 के न्यूनतम वेतन के दंड से दंडित होना बिना संज्ञान में लाये, कपटपूर्वक स्वयं का आवेदन स्वयं के पक्ष समर्थन में 31 नग अभिलेख साक्ष्यों के रूप में प्रस्तुत कर भ्रमित कर सहायक वर्ग—1 के वतन निर्धारण हेतु कार्यपालन यंत्री से हस्ताक्षर करवा वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित कराये जाने के कारण उन्हें कार्यालयीन समसंख्यक आदेश दिनांक 08.08.2016 व्दारा निलंबित कर लोवर सिंहावल नहर संभाग चुरहट जिला सीधी में संबद्ध किया गया था तथा कार्यालयीन समसंख्यक पत्र दिनांक 22.08.2016 के व्दारा उनके विरूद्व आरोप पत्रादि निर्गत किये गये ।

2. श्री वर्मा व्दारा प्रस्तुत आरोप पत्रादि का उत्तर कार्यालयीन परीक्षणोपरात समाधानकारक नहीं पाये जाने पर के कारण उनके विरूद्व विस्तृत विभागीय जांच संस्थित करने का प्रशासनिक निर्णय लिया गया ।

3— उक्त परिपेक्ष्य में श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा, सहायक वर्ग—3 के विरूद्व विस्तृत विभागीय जांच संस्थित करते हुए जांच कार्य हेतु म.प्र.सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 (5) (क) एवं (ग) के अंतर्गत परियोजना प्रशासक, कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन प्रकोष्ठ, रीवा को जांचकर्ता अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग कमाक 2, केसली जिला सागर को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

30.11.16

(एम.जी.चौबे)
प्रमुख अभियंता,

पृ.क. 3328700/38/13

भोपाल, दिनांक ~~/11/2016~~ 01/12/2016

प्रतिलिपि :—

1— प्रमुखसचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
2— मुख्य अभियंता, धसान केन कछार, जल संसाधन विभाग, सागर ।
3— जांचकर्ता अधिकारी/ परियोजना प्रशासक, कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन प्रकोष्ठ, रीवा । अपचारी के विरूद्व जारी आरोप पत्रादि एवं प्राप्त उत्तर की छायाप्रति संलग्न कर निर्देशित है कि विभागीय जांच प्रकिया 6 माह में पूर्ण कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें ।
4— प्रस्तुतकर्ता अधिकारी/ कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग कमाक 2, केसली जिला सागर ।
5— कार्यपालन यंत्री, लोवर सिंहावल नहर संभाग चुरहट जिला सीधी ।
6— संबंधित श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा, सहायक वर्ग—3 व्दारा स.क. ....
7— निज सहायक—प्रमुख अभियंता/अधीक्षण यत्री (प्रशासन) कार्यालय प्रमुख अभियंता, ज0सं0 विभाग, भोपाल ।
8— अधीक्षक 331/332 कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल ।
9— वैब मैनेजर, परियोजना संचालक, विश्व बैंक परियोजनाएं, जल ससाधन विभाग भोपाल को विभाग की वैबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु ।

30.11.16

(एम.जी.चौबे)
प्रमुख अभियंता

d/ahirwar/vigilence/appointment of enquiry officer32